

# पंचायती राज जागरूकता शृंखला

## ग्राम सभा की स्थायी समितियाँ

- ग्राम विकास समिति
- सार्वजनिक संपदा समिति
- कृषि समिति
- स्वास्थ्य समिति
- ग्राम रक्षा समिति
- आधारभूत संरचना समिति
- शिक्षा समिति एवं
- सामाजिक न्याय समिति
- निगरानी समिति

सभी स्थायी समिति में सदस्यों की संख्या  
● चार सदस्य होते हैं

स्थायी समिति की सदस्यता के लिए  
आरक्षण का प्रावधान  
● कोई प्रावधान नहीं

स्थायी समितियों के गठन की  
प्रक्रिया क्या है ?

ग्राम सभा सदस्यों के बहुमत द्वारा विभिन्न  
समितियों के सदस्य मनोनित किये  
जाते हैं

